न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, खूँटी

दा०खा०अपील वाद सं०-53/2019-2020

अपीलकर्त्ता/वादी -रीता कुमारी - बनाम - अंचल अधिकारी, कर्रा /प्रतिवादी

2.7.21

आदेश

यह वाद आवेदिका रीता कुमारी पति नन्दकिशोर प्रसाद ग्राम आर्दश नगर थाना धुर्वा, जिला राँची के द्वारा अंचल अधिकारी, कर्रा के दाखिल खारिज वाद संख्या **197 R27/2019–2020 में दिनांक 10.07.2019** को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

भूमि का विवरण :-

ग्राम	थाना/थाना न॰	खाता सं॰	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
लोधमा	कर्रा/162	50	49	0.05 एकड़

प्राप्त आवेदन के आलोक मे विधिवत् वाद दायर कर संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा उनसे अपने पक्ष में कारण पृच्छा/कागजातों/जबाब की मांग की गयी। प्रथम पक्ष ने न्यायालय में आवेदन/एवं अपने पक्ष में कागजात/जवाब दाखिल किया गया है।

प्रश्नगत् मामले में प्रथम पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए इस न्यायालय में अपील आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए नामान्तरण स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

सुनवाई के पश्चात् प्रश्नगत् मामले मे अभिलेख के साथ संलग्न सभी कागजातों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया है कि उपरोक्त मामले में अंचल अधिकारी, कर्रा ने नामान्तरण मुकदमा संख्या 197/R27/2019–2020 दिनांक 10.07.2019 को पारित आदेश में नामांतरण वाद सं0 197 पूर्व में अस्वीकृत किया गया है उल्लेख करते हुए आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे आवेदक ने अपने पक्ष में डीड डीकोमेंट्स के साथ अन्य कागजात उपलब्ध कराया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में दाखिल–खारिज वाद संख्या – **197 R27/2019–2020** दिनांक **10.07.2019** को पारित आदेश के विरूद्ध अंचल अधिकारी, कर्रा को Remand करते हुए निदेश दिया जाता है कि पुनः आपत्ति बिन्दु पर सुनवाई करते हुए आपेक्षित आदेश पारित किया जाए।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.16 12:04:36 +05:30
Location: 10.93.43.4